(48)

समक्ष मान्नीय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

निग -1394-II/16

1– ईश्वरदीन तनय हीरामणि कुर्मी,

2– बुद्धसेन तनय राजमणि कुर्मी

सभी निवासी–ग्राम पांती महतमान, थाना व तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0)

..............निगरानीकर्तागण

बनाम

1– शिवदीन तनय राजधारी, जाति कुर्मी

2– जगन्नाथ तनय हीरामणि

3– रामचन्द्र तनय जग्यलाल

4– रामशरण तनय जग्यलाल

सभी निवासी–ग्राम पांती महतमान, थाना व तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0)

5– शासन म0प्र0

..............गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील हनुमना के अपील प्रकरण क्रमांक 79ए/6/11–12 में पारित आदेश दिनांक 21/04/2016।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0।

03/05/16
Dilip Kumar Pasi (Adv.)
E. No. 1979/03
Board of Revenue Court Motimahal
M.P. Gwalior
Mob. 97533[illegible]

मान्यवर,

निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं :–

1– यह कि निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्तागण एक ही परिवार के सदस्य है, जिनका आपसी पारिवारिक विभाजन पूर्व में हो चुका था, निगरानीकर्ता क्र0–1 व उत्तरवादी क्र0–2 के पिता हीरामणि तथा गैरनिगरानीकर्ता क्र0 1 के पिता राजधारी व 3 तथा 4 के पिता जग्यलाल तथा निगरानीकर्ता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1394–दो/2016 जिला रीवा

ईश्वरदीन विरूद्ध शिवदीन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25–5–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। अनावेदक द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 16 पर पारित आदेश दिनांक 28–9–06 के विरूद्ध समयबाधित अपील अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत की जिसपर आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष म्याद अधिनियम 1963 की धारा 05 विलम्ब क्षमा हेतु आवेदनपत्र पेश किया जिसपर अनुविभागीय अधिकारी ने नामांतरण पंजी के अवलोकन से पाया कि अनावेदक को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व से नहीं थी जिससे आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त उपरांत प्रस्तुत अपील को म्याद में होना पाया। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील में प्रचलनशीलता संबंधी आपत्ति इस आधार पर की कि अपील ज्ञापन के साथ प्रस्ताव की नकल सम्मिलित नहीं की गई है जिससे अपील प्रचलनशील नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी ने ग्राम पंचायत गोपला के पत्र दिनांक 20–7–12 से यह पाते हुये कि दिनांक 28–9–06 को ग्राम पंचायत में कोई भी बैठक नहीं हुई थी। जिससे ग्राम पंचायत में दिनांक 28–9–06 को कोई भी कार्यवाही लेख नहीं की है। प्रचलनशीलता संबंधी आवेदन पत्र तथा ग्राम पंचायत के लेख अनुसार अंतिम निराकरण के भाव उत्पन्न होने से प्रकरण निराकरण गुण–दोष के आधार किये जाने पर स्वमेव निराकृत हो	

जावेंगे। इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक का प्रचलनशीलता संबंधी आवेदन अमान्य किया है। आवेदक द्वारा उठाई गई आपत्ति का निराकरण प्रकरण के निराकरण के समय हो जायेगा इसलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता एवं अनियमिता प्रकट नहीं होने से यह निगरानी ग्राह्यत के स्तर पर ही अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य